न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 90/2023 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
सुरताराम पुत्र पूनमाराम जाति कुम्हार, निवासी हड़वेचा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. हरजीराम पुत्र नारणाराम 2. बिहारीराम पुत्र नारणाराम जाति कुम्हार, निवासी हड़वेचा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री देवीलाल कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.08.2024

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा हड़वेचा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 201/96 रकबा 0.5666 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के रहवासी ढाणी व टांके आदि बने हुए है तथा काबिज काश्त है। उक्त आराजी मूल खसरा नम्बर 96 के विभाजित होने पर अमलदरामद की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी विप्रार्थी संख्या 1 व 2 से खरीद की गई है। बैचान दस्तावेज में पड़ौस भी खोले हुए है। उक्त विवादित आराजी में नये खसरे को कायम करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा नक्शा में बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये एवं बिना विक्रय पत्र देखे गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त एवं विक्रय पत्र में अंकित पडौस अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। वर्तमान रेकर्ड अनुसार नाकस 377 के स्वीकृत होने से विवेचित खसरा नम्बर 201/96 के दो नये खसरा नम्बर 216/201 रकबा 0.0649 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 217/201 रकबा 0.4856 हैक्टेयर है। वर्तमान तरमीम में विवादित आराजी के खसरा नम्बर के रकबा में अंतर है। वर्तमान प्रस्तावित तरमीम से खसरा नम्बर 216/201 का रकबा 0.2914 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 217/201 का रकबा 0.2591 हैक्टेयर रहेगा। विक्रय पत्र में अंकित पड़ौसियान अनुसार एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिसे उभयपक्ष द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान रेकर्ड में नाकस 377 के स्वीकृत होने से विवेचित खसरा नम्बर 201/96 के दो नये खसरा नम्बर 216/201 रकबा 0.0649 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 217/201 रकबा 0.4856 हैक्टेयर है तथा वर्तमान तरमीम में विवादित आराजी के उक्त खसरा नम्बर के रकबा में अंतर होने से वर्तमान प्रस्तावित तरमीम के साथ खसरा नम्बर 216/201 का रकबा 0.2914 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 217/201 का रकबा 0.2591 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान् एवं प्रभावित खातेदारान् द्वारा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हड़वेचा, तहसील शिव में प्रार्थी की खातेदारी का खसरा नम्बर 216/201, 217/201 रकबा क्रमशः 0.0649, 0.4856 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए खसरा नम्बर 216/201 का रकबा 0.2914 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 217/201 का रकबा 0.2591 हैक्टेयर किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 30.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner